

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

कमांक:- एफ 8(4) आ.प्र.एवं सहा./बाढ़/गिरदावरी/2022/1556-78 जयपुर, दिनांक 16/02/2023

अधिसूचना

जिला कलक्टरों से प्राप्त खरीफ फसल 2022 (संवत् 2079) की विशेष/नियमित गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर बाढ़ से फसल खराबा होने पर राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा राज्य के 15 जिलों के आगे अंकित संख्या के ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित करती है एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 से 10 तक के प्रावधान ऐसे प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 31 मार्च, 2023 तक लागू रहेंगे:-

क.सं.	जिला	अभावग्रस्त ग्रामों की संख्या
1.	बारां	1231
2.	भरतपुर	957
3.	बुन्दी	517
4.	धौलपुर	58
5.	श्रीगंगानगर	02
6.	झालावाड़	1597
7.	करोली	13
8.	नागौर	347
9.	सवाई माधोपुर	14
10.	टोंक	716
11.	कोटा	766
12.	बांसवाड़ा	717
13.	प्रतापगढ़	625
14.	जोधपुर	47
15.	अजमेर	227
	कुल योग	7834

राज्यपाल की आज्ञा से.

(पी.सी.किशन)
राज्यपाल सचिव
Signature valid
Digitally signed by Purnima Chandra
Kishan
Designation : Secretary To Government
Date: 2023.02.16 10:59 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3181102

